

FORM OF NOMINATION FOR GENERAL PROVIDENT FUND

(जब अभिदाता के परिवार हो और व उसके एक सदस्य को नामित करना चाहता हो तो) .

मैं एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्ति जो सामान्य भविष्य निधि(उ0प्र0) नियमावली के नियम-2 में दी गयी परिभाषा के अनुसार मेरे परिवार का सदस्य है, को वह धनराशि, जो मेरी निधि में जमा हो, उस दशा में प्राप्ति के लिए नामित करता हूँ, जिसके देय होने से पूर्व मेरी मृत्यु हो जाये, या देय होने पर जिसका भुगतान मुझे न हो और मेरी मृत्यु हो जाये ।

क्र. सं.	नामित व्यक्ति का नाम व पूरा पता	अभिदाता से सम्बन्ध	आयु	नाम निर्दिष्ट व्यक्ति का अंश(शेयर)	आकस्मिकताये जिनके होने पर नामांकन अवैध हो जाएगा	उस व्यक्ति का पूरा नाम/ पता और संबंध, जिसको अभिदाता से पहले, नामित की मृत्यु हो जाने की दशा में नामित का अधिकार मिल जायेगा ।
1	2	3	4	5	6	7

दिनांक..... मास.....20.....

स्थान.

दो साक्षी के हस्ताक्षर

1 नाम

पता

2 नाम

पता

अभिदाता के हस्ताक्षर

(नाम व पदनाम)

प्रतिहस्ताक्षरित

कार्यालयाध्यक्ष का नाम व पता

दिनांक